

प्रेस नोट दिनांक- 27.03.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना पट्टी पुलिस द्वारा 05 जिन्दा देशी बम नाजायज के साथ 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, साथ ही कब्जे से 01 अदद मोटर साइकिल बरामद-

अभियुक्तों को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत सुखई तालाब पुलिया ग्राम नारंगपुर के पास से गिरफ्तार किया गया-

अभियुक्तों पर जनपद प्रतापगढ़ के थाना पट्टी में पशु निवारण अधि०, पशु क्रूरता अधि०, विस्फोटक अधिनियम, छेड़खानी जैसे गंभीर अपराध पंजीकृत है-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी पट्टी श्री आनन्द पाल सिंह के नेतृत्व में उ०नि० सरनाम सिंह मय हमराह उ०नि० श्रीप्रकाश राय, आरक्षी केहरी सिंह, आरक्षी हरिकेश पाल द्वारा देखभाल क्षेत्र संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत सुखई तालाब पुलिया ग्राम नारंगपुर के पास से 02 अभियुक्तों, 01. अमित पांडेय उर्फ बबलू पांडेय पुत्र परशुराम पांडेय उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम महदहा थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़, 02. लालचन्द्र सरोज उर्फ कुन्टल पुत्र सहतूराम सरोज उम्र 42 वर्ष नि० लखनूडीह थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ को 05 अदद जिन्दा देशी बम नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों के पास से 05 अदद जिन्दा देशी बम नाजायज की बरामदगी के संबंध में थाना पट्टी में मु०अ०सं० 102/2026 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि० 1908 का अभियोग पंजीकृत किया गया है। साथ ही अभियुक्तों के कब्जे से 01 अदद मोटर साइकिल को धारा 207 एमवी एक्ट में सीज की गई ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. अमित पांडेय उर्फ बबलू पांडेय पुत्र परशुराम पांडेय उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम महदहा थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।
02. लालचन्द्र सरोज उर्फ कुन्टल पुत्र सहतूराम सरोज उम्र 42 वर्ष नि० लखनूडीह थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ ।

आपराधिक इतिहास-

01- अमित पांडेय उर्फ बबलू पांडेय पुत्र परशुराम पांडेय उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम महदहा थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़(HS नंबर 121A) का आपराधिक इतिहास-

01. मु०अ०सं० 70/2023 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।

02. मु०अ०सं० 178/14 धारा 429 IPC व 3/5/8 गोबध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।

03. मु0अ0सं0 153/22 धारा 341/323/504/506/427 IPC थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।
04. मु0अ0सं0 102/26 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।

02. अभियुक्त लालचन्द्र सरोज उर्फ कुन्टल पुत्र सहतूराम सरोज उम्र 42 वर्ष नि0 लखनूडीह थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 396/22 धारा 354(घ)/435/507 IPC थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।
02. मु0अ0सं0102/26 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।

बरामदगी-

05 अदद जिन्दा देशी बम नाजायज व 01 अदद मोटर साइकिल बरामद ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 सरनाम सिंह मय हमराह उ0नि0 श्रीप्रकाश राय, आरक्षी केहरी सिंह, आरक्षी हरिकेश पाल थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना रानीगंज पुलिस द्वारा “दुष्कर्म” के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त वीर बहादुर यादव उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया गया-

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत दांदूपुर रेलवे क्रासिंग पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी रानीगंज श्री विजय कान्त सत्यार्थी के नेतृत्व में निरीक्षक श्री सुधीर कुमार पाण्डेय मय हमराह म0का0 चांदनी विश्वकर्मा व का0 कृष्णा पाल द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना अन्तर्गत धारा 115(2),352,351(3),351(4),70(1),123,61(2)(ए),127(2) बीएनएस थाना रानीगंज प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त वीर बहादुर यादव उर्फ सोनू पुत्र तीरथ राज यादव नि0 रस्तीपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र 27 वर्ष के पीड़िता के साथ पूर्व से संबंध थे जिसमें शादी का झांसा देकर अभियुक्त उपरोक्त बार-बार दुष्कर्म करता रहा को थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत दांदूपुर रेलवे क्रासिंग पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. वीर बहादुर यादव उर्फ सोनू पुत्र तीरथ राज यादव नि0 रस्तीपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र 27 वर्ष ।

पुलिस टीम-

निरीक्षक श्री सुधीर कुमार पाण्डेय मय हमराह म०का० चांदनी विश्वकर्मा व का० कृष्णा पाल थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना रानीगंज पुलिस द्वारा दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त विदेशी लाल बिंद को किया गया गिरफ्तार-

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत दमदम गेस्ट हाउस रोड़ से गिरफ्तार किया गया ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी रानीगंज श्री विजयकांत सत्यार्थी सिंह के नेतृत्व में थाना रानीगंज के उ०नि० महेश कुमार सिंह मय हमराह म०का० सारिका शर्मा व का० राजू गौड़ द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वांछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 65(1)/62,/333/352/351(3)भा०न्या०सं० व 3/18 पॉक्सो एक्ट थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित वांछित अभियुक्त विदेशी लाल बिंद उम्र करीब 62 वर्ष पुत्र स्व० रामलाल निवासी ग्राम दमदम थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत दमदम गेस्ट हाउस रोड़ से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. विदेशी लाल बिंद उम्र करीब 62 वर्ष पुत्र स्व० रामलाल निवासी ग्राम दमदम थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ०नि० महेश कुमार सिंह मय हमराह म०का० सारिका शर्मा व का० राजू गौड़ थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

थाना बाघराय पुलिस द्वारा कुल 06 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में,

थाना बाघराय के उ0नि0 अमित द्विवेदी मय हमराह उ0नि0 लाल जी राम, उ0नि0 ज्वाला प्रसाद, उ0नि0 कीर्ति रमन, का0 अन्शू, का0 रविन्द्र यादव, क0 सचिन ठेनुआ मय हमराह उ0नि इकबाल अहमद, का0 ओम प्रकाश तोमर मय चालक का0 अंकित कुमार द्वारा मु0नं0 1318/2021, मु0अ0सं0 129/19 धारा 3(1)P SC/ST Act से सम्बन्धित कुल 06 वारंटी अभियुक्तों, 01. दिलीप सिंह पुत्र चन्द्रकेश सिंह निवासी बंशियारा थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ, 02. भूपेन्द्र सिंह उर्फ कल्लू पुत्र जगदीश बहादुर सिंह निवासी बंशियारा थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ, 03. गुलाब सिंह पुत्र राजबली सिंह निवासी बंशियारा थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ, 04. सुन्दर उर्फ रामसुन्दर सिंह पुत्र राजबली सिंह निवासी बंशियारा थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ, 05. महेन्द्र सिंह पुत्र हरिशचन्द्र सिंह निवासी बंशियारा थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ, 06. देशराज सिंह पुत्र राजबली सिंह निवासी बंशियारा थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. दिलीप सिंह पुत्र चन्द्रकेश सिंह निवासी बंशियारा थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ ।
02. भूपेन्द्र सिंह उर्फ कल्लू पुत्र जगदीश बहादुर सिंह निवासी बंशियारा थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ।
03. गुलाब सिंह पुत्र राजबली सिंह निवासी बंशियारा थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ।
04. सुन्दर उर्फ रामसुन्दर सिंह पुत्र राजबली सिंह निवासी बंशियारा थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ ।
05. महेन्द्र सिंह पुत्र हरिशचन्द्र सिंह निवासी बंशियारा थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ ।
06. देशराज सिंह पुत्र राजबली सिंह निवासी बंशियारा थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 अमित द्विवेदी मय हमराह उ0नि0 लाल जी राम, उ0नि0 ज्वाला प्रसाद, उ0नि0 कीर्ति रमन, का0 अन्शू, का0 रविन्द्र यादव, क0 सचिन ठेनुआ मय हमराह उ0नि इकबाल अहमद, का0 ओम प्रकाश तोमर मय चालक का0 अंकित कुमार थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ।